

## कार्यालय, राजिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आवश्यक सं०/सम्बन्धता/

/2016-17 दिनांक: /८ नवम्बर 2016

### कार्यालय झापु

भाजी रशोदन बैगम एण्ड बाजी साहबजहाँ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, प्लाट नं० ५५ व ७३५ ग्राम गनेशपुर पो० दुण्डवारा, बैंगपद-एला को शासन द्वारा सम्यक् विधारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय १००टी०री० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विधेयक निर्णत आदेश ने अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं परिवर्तनों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (५० रीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

१. रास्थान द्वारा लगातार प्रामूख्य एवं रुक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बद्धता प्रदान के अनुसार नवोनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना चाहा जायेगा।
२. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सम्बार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सम्बान्ध पर एन०सी०टी०ई० लक्ष राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
३. नेरानगल चिल्डंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन रो सम्बन्धित उपायों को सम्बन्ध द्वारा मानक के अनुसार संतुष्ट सुनिश्चित किया जायेगा।
४. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा श.न्क. अन्य कीर्ति भौमि, वार्जन, परीक्षा ग्रो समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
५. सम्बद्धता भिंगी छोटे के दो माह की अवधि ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् राज्य सदस्यों का अनुमोदन संचिय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त नि० जा० जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सकाय सदस्यों के बादोलाटा एवं अन्य समस्त पत्रों तथा अन्य दूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वा० जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
६. सम्बन्ध द्वारा अपनी बैंकसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैंकसाइट के साथ संपर्किंग की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उत्तरेख बैंक-राइट पर किया जायेगा।
७. प्रशिक्षण संस्थान को अज्ञ स्तरीय समिति की पेटक दिनांक ०९.०६.२०१६ से १०.०६.२०१६ के कार्यवृत्त में दी गयी सम्बद्धता के आधार पर धी०टी०री० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (५० रीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।
८. अपरीक्षा सम्बद्धता गूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगा।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

उ०प्र० / सम्बन्धता/ -२१-२३/-३४

/2016-17 तददिनांक

गालिया निम्नलिखित का दूरभाव एवं आधश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. साचिव, द्विरिक्षा शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
२. विशेष सचिव, वैशिक शिक्षा, उ०प्र०शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
३. निदेशक, साजू शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
४. शिक्षा निदेशक, वैशिक, उ०प्र०, लखनऊ।
५. दोषी। जिला कार्यवाही अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय रामिति, चतुर्थ तल, जीतन। लखनऊ।
६. दोषी। जिला वैशिक और प्रशिक्षण संस्थान, एला।
७. प्रशिक्षण कार्यालय लखनऊ रशीदन बैगम एण्ड बाजी साहबजहाँ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, प्लाट नं० ५५ व ७३५ ग्राम गनेशपुर का उ०प्र०, लखनऊ।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)